

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री गोविन्दकरण राठौड पुत्र श्री धनकरण
जाति राठौड

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

निवासी 79 हनुवन्त बी, सेक्टर-बी,
बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर।

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 51 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.08.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 24.03.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील पिण्डवाडा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त गांवों की कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आने वाली समस्त गांवों की भूमियों के खसरा नम्बर एवं रकबों की सूची (अधीनस्थ समस्त ग्रामों की) प्रदान कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 24.03.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील पिण्डवाडा कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त गांवों की कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आने वाली समस्त गांवों की भूमियों के खसरा नम्बर एवं रकबों की सूची (अधीनस्थ समस्त ग्रामों की) प्रदान कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भैरव लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

